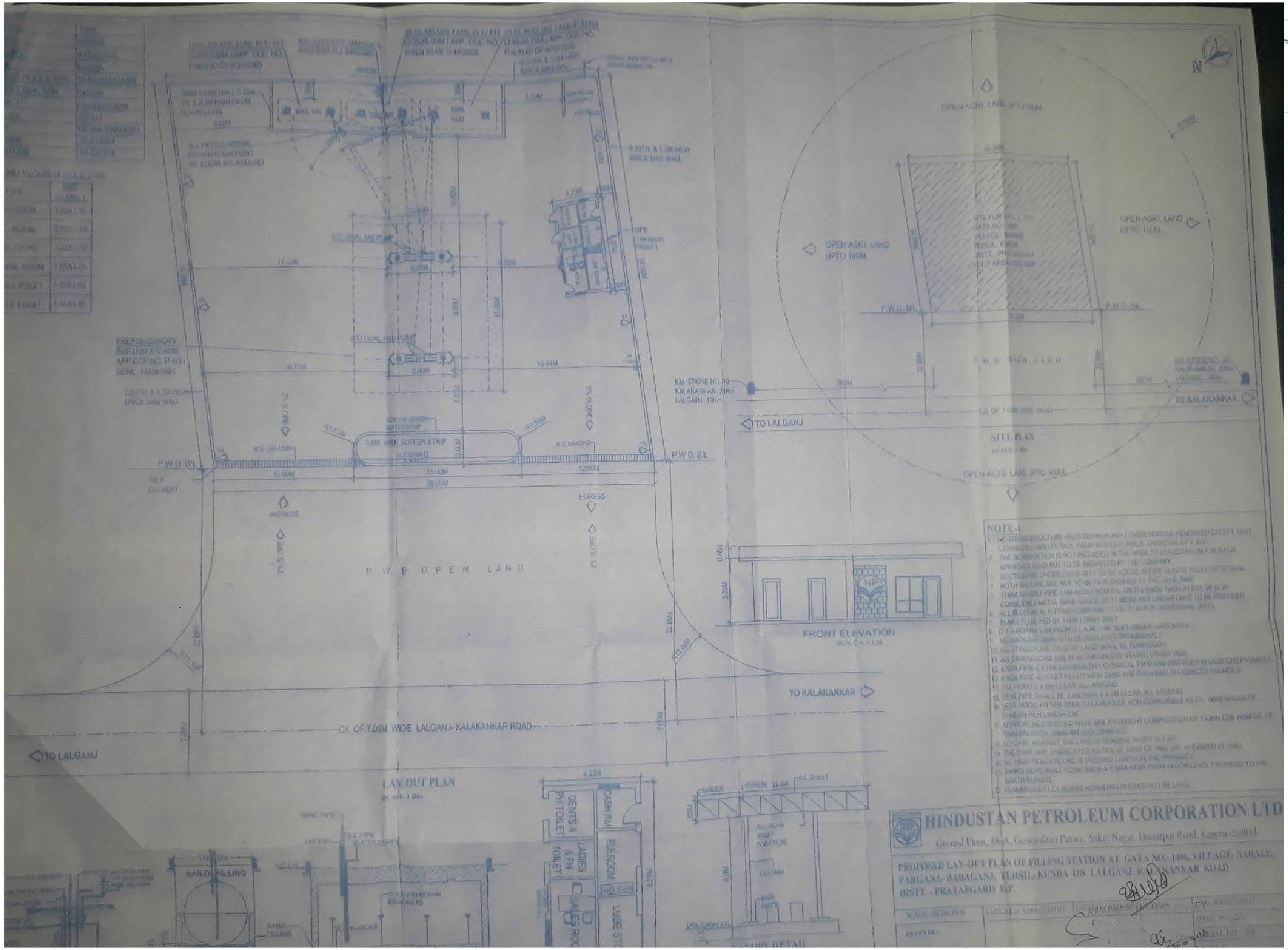

मूल रूप में निम्न प्रतिबन्धों के साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प लगाये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित :–

1. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियन्त्रण अधिनियम 1945 की धारा–6 के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग पर नगर सीमा के बाहर कृषि भूमि पर मार्ग के मध्य बिन्दु से संलग्न मानचित्र के अनुसार 22.86 मी0 से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउन्ड्रीवाल तथा प्रथम फिलिंग प्वाइंट 32.36 मी0 एवं द्वितीय फिलिंग प्वाइंट 41.36 मी0 से कम दूरी पर न बनाया जाय। लो0नि0वि0 की भूमि, मार्ग के मध्य बिन्दु से 18.30 मी0 तक किसी भी प्रकार की स्थायी /अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउट लेट के स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।
2. प्रस्तावित कार्य स्थल की भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सत्यापन राजस्व विभाग के अभिलेखों से सत्यापन अवश्य करा लिया जाय । यदि प्रस्तावित कार्य स्थल की भूमि से सम्बन्धित कोई वाद/ मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र कदापि न निर्गत किया जाय ।
3. मार्ग के जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार 1.00 मी0 स्पान आर0सी0सी0 की पुलिया/नाली के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं पक्की नाली एम0एस0 पेन्टिंग सहित तथा साइन बोर्ड/सूचना पट/कॉसन बोर्ड/अग्निशमन यन्त्र आउट लेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय ।
4. उक्त रिटेल आउट लेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के फलस्वरूप यातायात कदापि प्रभावित नहीं किया जाय ।
5. बफर स्ट्रिप, मानचित्र में अंकित विवरण से कम कदापि न रखा जाय ।
6. आई0आर0सी0 कोड के अनुसार प्रस्तावित कार्य के फ्रन्टेज/प्रवेश एवं निकास मानचित्र के अनुसार क्रमशः न्यूनतम लम्बाई 39.00 मी0/12.00 मी0, 12.00 मी0 तथा स्लोप 02 प्रतिशत से कम न रखा जाय ।
7. प्रस्तावित कार्यस्थल के सामने मार्ग की पटरी पर हाई टेंशन लाइन नहीं जा रही है। जल मल की निकासी मार्ग की तरफ न किया जाय तथा निर्माण सामग्री मार्ग पर अथवा मार्ग के किनारे न रखा जाय ।
8. प्रस्तावित आउट लेट का कार्य का कुर्सी तल मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 15 सेमी0 (6.00 इंच) नीचे रखा जाय ।
9. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे ।
10. प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाये तथा आई0आर0सी0 पब्लिकेशन का पूर्ण रूप से पालन किया जाय ।
11. प्रस्तावित निर्माण कार्य की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक न होने पर आउट लेट स्वामी को पुनः अनुमति लेना होगा ।
12. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउट लेट भू स्वामी से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।
13. संलग्न मानचित्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य निर्माण न कराया जाय । यदि निर्माण किया जाता है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।
14. अनुमोदित प्लान तथा आई0आर0सी0 12–2009 में दिये गये प्राविधानों/विशिष्टियों/मानक के प्रदत्त/निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र के अनुरूप न होने पर निरस्त मानी जायेगी ।
15. निर्माण के समय लो0नि0वि0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1,लो०नि०वि०
प्रतापगढ़

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियंता द्वारा की गयी संस्तुति एवं आख्या के आधार पर उक्त अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत नये रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुख्य अभियन्ता ए० के० लो० नि० वि० इला० को अग्रसारित/

अधीक्षण अभियन्ता
प्रतापगढ़/फतेहपुर वृत्त, लो०नि०वि०
प्रतापगढ़